By
Rahul Kumar Jha
Dept.of Political Science

Lecture-12

Topic - Nation-Building and its Problems

Class - XII, Part-A, Unit-1

Subject - Political Science

Date - 10 August, 2020

By Rahul Kumar Jha

राष्ट्र-निर्माण और उसकी समस्याएँ :-

भाषा की राजनीति :-

मॉरिस जोंस ने भारत को संवादी भाषा का देश माना है। एक साझी राष्ट्रीय भाषा का होना आधुनिक राष्ट्र-राज्य के प्रमुख लक्षणों में आता है। भाषा लोगों में भावात्मक एकता स्थापित करती है जो राष्ट्र-निर्माण व उसके सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी राष्ट्र के पास अपनी भाषा नहीं होती तो वह अपनी भाषा की रचना करता है। भाषा से ही किसी जनसमूह की पहचान होती है।

टैगोर का यह कथन सत्य है कि भाषा कोई चोला या लबादा या छतरी नहीं है जिसे हम जाने या अनजाने में अपना लें।

यह तो अपनी त्वचा के समान है जिसे बदला या फेंका नहीं जा सकता है। इंग्लैण्ड के लोगों ने लैटिन व फ्रेंच भाषाओं को छोड़कर अंग्रेजी भाषा विकसित की। बिस्मार्क ने जर्मन भाषी लोगों के राज्यों को जोड़कर 1871 में एकीकृत जर्मन राज्य की स्थापना की। यदि राज्य के लोग द्विभाषी हैं तो वहाँ दो राष्ट्र भाषाएँ हो सकती हैं। कनाडा में लोग इंगलिश व फ्रेंच भाषाओं का प्रयोग करते हैं लेकिन स्विट्जरलैण्ड में चार राष्ट्र भाषाएँ हैं - जर्मन, फ्रेंच, रोमन व स्विस।

भारत की स्थिति भिन्न है। यहाँ अधिकतर लोग हिन्दी भाषी हैं। हिन्दी व उर्दू भाषाएँ आपस में इतनी घुली-मिली हैं कि उस रूप को हिन्दुस्तानी कहते हैं जिसे अरबी या संस्कृत की लिपियों में रखा जा सकता है। हिन्दुस्तानी भाषा हिन्दी व उर्दू का सरल मिश्रण है जिसे आम आदमी बोलता है व समझता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया कि

हिन्दुस्तानी भारत की राष्ट्र भाषा होनी चाहिए। ग्रन्थमेकी रेहस ने कहा "हिंदी व उर्दू एक ही भाषा के दो मुख्य पहलू हैं, उनका समान आधार है, उनकी समान व्याकरण है, उनमें समान शब्दों का कोष भरा है। वास्तव में वे समान आधारभूत भाषाएँ हैं।"

संविधान-निर्माताओं के समक्ष यह गम्भीर समस्या थी कि चूँकि भारत में अनेक भाषाओं के लोग वास करते हैं, किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, इस दिशा में सर्वसम्मति से यह महत्वपूर्ण निर्णय हुआ कि राष्ट्रभाषा की जगह राजभाषा पदबन्ध का प्रयोग किया जाए तथा देवनागरी में लिखित हिन्दी को राजभाषा बनाया जाए। संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 प्रमुख भाषाओं को स्थान दिया गया- संस्कृत, उर्दू, असमिया, हिन्दी, तेलुगु, बंगाली, मराठी, तमिल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ओड़िया, पंजाबी व कश्मीरी। बाद में इस सूची में सिन्धी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, मैथिली, डोगरी व संथाली को शामिल किया गया। अतः अब 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है।

CHAPTER CONTINUES---